31

संख्या–153/2014/132/ix/2008

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन
विकास प्राधिकरण सहस्त्रधारा
हेलीड्रोम देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषय– नैनी सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ में सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं विस्तारीकरण के कन्सलटेन्सी कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,चच

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून के पत्र संख्या–514/रा0ना0उ0नि0/नैनी सैनी/2014 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना के उक्त कार्यो हेतु शासनादेश संख्या–244/IX/132/नैनी सैनी/2008 दिनांक 17.09.2010 के द्वारा धनराशि रू0 315.00 लाख + सर्विस टैक्स अतिरिक्त की स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या–126/IX/132/नैनी सैनी/2008 दिनांक 26.03.2009 के द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 150.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में शासनादेश संख्या–244/IX/132/नैनी सैनी/2008 दिनांक 17.09.2010 के द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 65.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 215.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं कार्य में अग्रेत्तर प्रगति लाने हेतु कार्यदायी संस्था की मांग के आधार पर पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस प्रयोजन हेतु रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

2– चूंकि उक्त प्रयोजन हेतु अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–99–नैनी सैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण एवं सुसंगत मानक मदों में बजट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तथा अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक –5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–00–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–04 हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य निर्माण कार्य की सुसंगत मानक मद में उपलब्ध बजट एस0पी0ए0 धनराशि को व्यय करने के लिए वित्त एवं नियोजन विभाग द्वारा बजट परिव्यय स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः उक्त स्वीकृत की जा रही रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न कर पूर्व में शासनादेश संख्या–86/2014/IX/44/2013 दिनांक 10 जून, 2014 के द्वारा उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निर्वतन पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 100000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) में से आवश्यकतानुसार व नियमानुसार आहरित कर भुगतान की जायेगी।

3– उक्त धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) का आहरण करते हुए परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 देहरादून को रेखांकित चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर उसकी भौतिक व वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5– उक्त धनराशि का यदि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूप से उपयोग नही किया गया अथवा कोई धनराशि अवशेष रहती है तो इसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– अग्रिम के रूप में इस धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। समायोजन का दायित्व विभाग एवं सम्बन्धित निर्माण इकाई का होगा, अन्यथा अनियमितता की स्थिति में पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगें।

7– निर्माण संस्था के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय।

8– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हैं, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक है।

9– कार्य करने से पूर्व स्वीकृत आगणन/मानिचत्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

10– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का व्यय दूसरी मद में कदापि न किया जाय।

11– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

12– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशष्ठियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

13– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भ वेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार)से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कार्य करायें जाय।

14– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

15– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–291 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

16– जे0पी0 डब्लू फार्म–09 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

17– इस संबंध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

18– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

19– जो देयक प्री आडिट वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के भाग–5 के एक के नियम 74 के अनुसार सम्परीक्षा करके ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

20– धनराशि का व्यय करते समय मितव्यता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

21– कार्य के निर्माण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 05.04.2004 का अनुपालन केया जायेगा।

22– कन्सलटेन्ट का चयन प्रोक्योरमैन्ट नियमावली के अधीन ही किया जायेगा तथा इस हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर गठित समिति में नागरिक उड्डयन विभाग का प्रतिनिधित्व भी रखते हुए यथा संभव किसी एवियेशन कन्सलटेन्ट की भी सेवायें ली जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–443/XXXVI(2)/2010 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 153/132/IX/2008, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस,सी–1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
2– महालेखाकार उत्तराखण्ड (ए0एण्ड0ई0) ओबेराय मोटर्स बिल्डिग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
3– आयुक्त कुमांऊ मण्डल देहरादून।
4– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9– निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट, एयरपोर्ट देहरादून।
10– जिलाधिकारी पिथौरागढ।
11– वित्त अधिकारी साईबर कोषागार देहरादून।
12– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
13– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 देहरादून को उनके पत्र संख्या–558/यू0एस0आई0डी0सी0एल–131 (I)/2014 दिनांक 14.08.2014 के क्रम में इस निर्देश के साथ कि योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत करायें।
14– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाइल।
16– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।

GO DOC 1026